

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
दिनांक 16/05/24

क्रमांक:- ई-18/एम/ -यू/एफ.28282/2024/555

### आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2)एफडी/रूल्स/06 पार्ट-1 दिनांक 16.01.2020 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री गजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) दौसा को उनकी स्वयं की प्रार्थना व संबंधित अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर परिवीक्षा अवधि का दिनांक 10.08.2023 (01 दिवस), दिनांक 31.08.2023 (01 दिवस), दिनांक 08.09.2023 (01 दिवस), दिनांक 13.09.2023 से 15.09.2023 तक (03 दिवस), दिनांक 30.10.2023 (01 दिवस), दिनांक 08.11.2023 (01 दिवस), दिनांक 16.11.2023 से 04.12.2023 तक (19 दिवस), दिनांक 08.12.2023 (01 दिवस) कुल 28 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर।

दिनांक 16/05/24

क्रमांक:- ई-18/एम/ -यू/एफ.28282/2024/555  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
2. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) दौसा।
3. श्री गजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक, को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
7148320

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date: 16-05-2024 09:54:30